कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

कमांकः एफ.19( )2021/कार्मिक–राज/प्रमुवसं/ 1744-1758 दिनांक 21/07/22
निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर।
वन्यजीव, उदयपुर/जयपुर/ सिल्वा, जयपुर/
एफ.पी.आर.पी. जयपुर/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।
वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर।

विषयः– वर्ष 2022–23 में क्षेत्रीय प्रथम से सहायक वन संरक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने बाबत।
संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक सम 1645–65 दिनांक 08.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कराने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको वर्ष 2022–23 में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम से सहायक वन संरक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी–I की सूची संलग्न प्रेषित कर उक्त सूची में आपके कार्यालय अथवा आपके अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों की सेवाभिलेख में दर्ज शैक्षणिक योग्यता की सूचना मय सत्यापित प्रति, दिनांक 31.05.2002 को एवं दिनांक 31.05.2002 के बाद जीवित संतानों की संख्या संबंधी नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र तथा दिनांक 01.01.2022 की स्थिति अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत सम्पति विवरण (आई.पी.आर.) की सूचना मय प्रति एवं यदि कोई अधिकारी राजस्थान वन सेवा (संशोधित) नियम 2015 की अनुसूची–I (Schedule-I) में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अर्हता रखता हो तो उसका विवरण मय अंकतालिका/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं सेवाभिलेख में दर्ज सूचना की सत्यापित प्रति 3 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था, जो अभी तक अपेक्षित है।

उल्लेखनिय है कि कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7 (3)कार्मिक/ क–2/95 पार्ट दिनांक 21.06.2022 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–23 के लिए पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में प्रदान किया गया एक वर्ष का शिथिलन दिनांक 31.08.2022 तक मान्य है। अतः निवेदन है कि वांछित सूचनाऐं 3 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें ताकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

भवदीया,

(नमिता जे. प्रियदर्शी)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ.19( )2021/कार्मिक–राज/प्रमुवसं/ 1759 - 1778 दिनांक 21/07/2022
प्रतिलिपि निर्देशानुसार निम्नांकित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन संरक्षक, जयपुर/हनुमानगढ/भीलवाडा/झुंझुनु/प्रतापगढ़/पाली/टोंक/कोटा/दौसा/आई.जी.एन.पी. स्टेज–II बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक,वन्यजीव, राजसमंद/भरतपुर/उदयपुर/उदयपुर/चिड़ियाघर,जयपुर/प्रशिक्षण, जोधपुर/ प्रशिक्षण, जयुपर/ परियोजना, टोंक।
3. उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक–II, आर.टी.पी. करोली/उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक–I, टाईगर प्रोजेक्ट सरिस्का।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(जगदीप सिंह दहिया)
उप वन संरक्षक,(संस्थापन)
जयपुर।

E:\all files\gupta ji DPC.RO-I to ACF 2022-23.docx658